दिनांकः— 01.10.2018 को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में आयोग की आठवीं बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः—

1. श्री सुधीर प्रसाद, अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
2. श्री उपेन्द्र नारायण उराँव, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
3. श्री हलधर महतो, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
4. डॉ0 रंजना कुमारी, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
5. श्री सुनील कुमार सिन्हा, सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
6. श्री मदन मोहनपति त्रिपाठी, विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।

बैठक में निम्नांकित निर्णय लिये गयेः—

1. **संकलित पुस्तक से संबंधित निम्न निर्णय लिये गये :—**
   (i) संकलित पुस्तक की छपाई पूर्ण हो गई है। इसकी आपूर्ति मेसर्स पारामाउण्ट इंटरप्राजेज द्वारा कर दी गई है।
   (ii) दिनांक — 22.10.18 से दिनांक — 29.10.18 के बीच पुस्तक का अनावरण करने हेतु माननीय मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।
2. अन्य विभागों के सम्बन्धित विषयों पर instruction को संकलित करने का निर्णय लिया गया।
3. आयोग का लोगो (प्रतीक चिन्ह्) से सम्बन्धित शेष कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्णय लिया गया। डॉ0 रंजना कुमारी, सदस्य विशेष ध्यान दें।
4. **राज्य खाद्य निगम के नवनिर्मित भवन में आयोग कार्यालय हेतु स्थान आवंटित करने के लिये सचिव सह प्रबन्ध निदेशक को निम्न पत्र एवं स्मार भेजे गए हैं :—**
   (i) पत्रांक — 53 दिनांक — 02.02.18
   (ii) स्मार पत्रांक — 98 दिनांक — 19.02.18
   (iii) स्मार पत्रांक — 180 दिनांक — 23.03.18
   (iv) अर्द्धसरकारी पत्रांक — 27 दिनांक — 09.05.18
   (v) स्मार पत्रांक — 455 दिनांक — 03.08.18
   (vi) स्मार पत्रांक — 524 दिनांक — 29.08.18
   पुनः स्मार पत्र भेजने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक पंद्रह दिनों पर स्मार भेजने का निदेश दिया गया।
5. **आयोग कार्यालय के लिये D.D.O घोषित करने हेतु विभाग को निम्न पत्र एवं स्मार भेजे गए है :—**
   (i) पत्रांक — 136 दिनांक — 19.12.17
   (ii) स्मार पत्रांक — 38 दिनांक — 24.01.18
   (iii) स्मार पत्रांक — 105 दिनांक — 19.02.18
   (iv) स्मार पत्रांक — 181 दिनांक — 23.03.18
   (v) अर्द्धसरकारी पत्रांक — 26 दिनांक — 09.05.18
   (vi) स्मार पत्रांक — 478 दिनांक — 10.08.18
   (vii) स्मार पत्रांक — 556 दिनांक — 18.09.18

प्रत्येक पंद्रह दिनों पर स्मार भेजें।

6. आयोग के लिये स्वतंत्र सदस्य सचिव के पदस्थापन से संबंधित पत्र विभाग को भेजने का निर्णय लिया गया। इसके लिये निम्न पत्र भेजे गए हैं :–

(i) पत्रांक – 51 दिनांक – 01.02.18

(ii) पत्रांक – 117 दिनांक – 26.02.18

(iii) पत्रांक – 183 दिनांक – 23.03.18

(iv) पत्रांक – 216 दिनांक – 11.04.18

(v) पत्रांक – 253 दिनांक – 20.04.18

(vi) पत्रांक – 483 दिनांक – 13.08.18

(vi) पत्रांक – 560 दिनांक – 18.09.18

प्रत्येक पंद्रह दिनों पर स्मार भेजने का निदेश दिया गया।

7. **पद सृजन से संबंधित :–**

(i) कुल 38 पदों का प्रस्ताव भेजा गया था, इसमें से केवल 11 पदों की स्वीकृति मिली है। इस संबंध में मुख्य सचिव को पीत पत्र संख्या – 14 दिनांक – 27.06.18 भेजा गया है।

(ii) स्मार पत्रांक – 222 दिनांक – 19.09.18

(iii) सभी 38 पदों की स्वीकृति हेतु स्मार पत्र भेजा गया था, पुनः स्मार पत्र भेजने का निर्णय लिया गया।

8. **PMU/STA के संबंध में :–**

(i) आयोग कार्यालय के लिये एक TSA (Technical Support Agency) बनाने का निर्णय लिया गया था।

(ii) इससे संबंधित पत्र, मंत्रिमण्डल समन्वय विभाग से संपर्क कर मंगाने का निर्णय लिया गया था।

(iii) इसके लिये निम्न दो पत्र प्राप्त हुए हैं :–

(क) मुख्य सचिव का पत्रांक – 99 दिनांक – 13.01.18

(ख) पत्रांक – 8598 दिनांक – 29.09.15

इस पर सदस्य सचिव विशेष ध्यान दें।

9. भूख से मौत संबंधित घटना की जाँच हेतु विभाग द्वारा गठित समिति, जिसके अध्यक्ष, निदेशक सह सदस्य सचिव के द्वारा प्रतिवेदन तैयार किया गया है। इसके लिये उनकी प्रशंसा की गई। उनसे अनुरोध है कि वे इससे सम्बन्धित रिपोर्ट पर आयोग की अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराएँ।

10. **वेबसाइट से संबंधित :–**

(i) वेबसाइट का कार्य प्रगति पर है।

(ii) सभी माननीय सदस्यों एवं सदस्य सचिव से अनुरोध है कि वे वेबसाइट देख लें एवं अपना सुझाव दें। श्री हलधर महतो, सदस्य के प्रयास की प्रशंसा की गई। अन्य सदस्य भी इस पर विशेष ध्यान दें।

(iii) दिनांक – 22.10.18 से दिनांक – 29.10.18 के बीच वेबसाइट का अनावरण करने हेतु माननीय मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।

11. **प्रज्ञा केन्द्र के संबंध में :–**

(i) प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से न्यायालय का कार्य कराने का निर्णय लिया गया।

(ii) संबंधिम सामग्री की GeM पोर्टल पर अनुपलब्धता को देखते हुए अन्य तरीके से क्रय करने का निदेश दिया गया। GeM के आपूर्तिकर्त्ता को विलम्ब हेतु उनके विरुद्ध कार्रवाई करें।

(iii) LCD टी0वी0 51 इन्च का क्रय करने का निर्णय लिया गया।

(iv) इसकी व्यय विवरणी एन0आई0सी0 से मंगाने का निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में श्री शाहिद अहमद, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0 को पत्र भी भेजा गया है। पुनः स्मार देने का निर्णय लिया गया।

(v) माननीय मुख्यमंत्री ने न्यायालय का कार्य मोबाईल ऐप द्वारा करने का निदेश दिनांक – 29.08.18 को दिया है।

12. **फर्नीचर के सम्बन्ध में :–**

(i) फर्नीचर से सम्बन्धित पत्र GOI को भेजने का निर्णय लिया गया था। भारत सरकार द्वारा 10 लाख रु0 विभाग को प्राप्त हुआ है, की सूचना माननीय सदस्य श्री उपेन्द्र नारायण उराँव द्वारा दिया गया।

(ii) इससे सम्बन्धित आयोग के लिये बैंक खाता खोलने का निर्णय लिया गया। वित्त विभाग को पुनः अनुरोध पत्र भेजने का निर्णय लिया गया।

13. जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी बोकारो एवं पलामू द्वारा पैसे की मांग की गई है। इससे सम्बन्धित संचिका तैयार करने का निर्णय लिया गया। विशेष कार्य पदाधिकारी, विशेष ध्यान दें।

14. आयोग का व्यय कंट्रोल रजिस्टर बनाने का निर्णय लिया गया।

15. सभी माननीय सदस्यों एवं सदस्य सचिव की एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया। जिसकी अध्यक्षता श्री उपेन्द्र नारायण उराँव, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग करेंगे। राज्य खाद्य आयोग के पूर्व सदस्यों को विशेष आमंत्रित किया जाय।

समिति अपनी अनुशंसा निम्न विषयों पर दें :–

(i) समाज कल्याण मंत्रालय से विभिन्न कार्यों के लिए एक विस्तृत गाइडलाईन प्राप्त करना है। आयोग को इन्हीं विषयों पर कार्य करना है। गाइडलाईन को अंगीकृत करने पर समिति प्रस्ताव दे।

(ii) नगर विकास विभाग ने Interns के लिये एक आदेश निर्गत किया है। इसके अंगीकृत करने, प्रस्ताव भी समिति दे। समिति एक माह में अपनी अनुशंसा दे।

16. GeM पोर्टल में जब तक नए यूजर का निबंधन का कार्य पूरा नहीं हो जाता है, तब तक पुरानी व्यवस्था को ही लागू रखने का निर्णय लिया गया।

17. **प्रमण्डलीय स्तर पर बैठक से संबंधित :–**

(i) पलामू एवं दुमका प्रमण्डल में कार्यशाला का आयोजन किया जा चुका है।

(ii) इसी प्रकार सभी प्रमण्डल में कार्यशाला आयोजन करने का निर्णय लिया गया।

18. **जन सुनवाई/क्षेत्र भ्रमण के सम्बन्ध में :–**

(i) आयोग के सभी सदस्यों से अनुरोध किया गया कि जन सुनवाई/क्षेत्र भ्रमण से लौट कर, इससे संबंधित प्रतिवेदन अध्यक्ष को प्रस्तुत करें।

(ii) जन सुनवाई/क्षेत्र भ्रमण एवं कार्यशाला के सम्बन्ध में विस्तृत आदेश निर्गत किया जाय।

19. **कोर्ट के सम्बन्ध में :–**

(i) कोर्ट का कार्य प्रत्येक मंगलवार को करने का निर्णय लिया गया।

(ii) इससे सम्बन्धित विज्ञापन निकालने का निर्णय लिया गया।

(iii) कोर्ट के कार्रवाई से सम्बन्धित रजिस्टर बनाने का निर्णय लिया गया।

(iv) आयोग मामले का निपटारा तीन माह के अन्दर करने का निर्णय लिया गया।

20. फोटो ग्राफर/प्रोजेक्टर आदि को Impanel करने संबंधित कोटेशन निकालने का निर्णय लिया गया। यह कार्य दिनांक – 31.08.2018 तक पूरा करने का निर्णय हुआ था, किन्तु यह कार्य अब तक लंबित है। विशेष कार्य पदाधिकारी, विशेष ध्यान दें।

21. आयोग कार्यालय हेतु बाह्य स्त्रोत से यंत्र प्रोफेशनल को निति आयोग की भांति प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

22. आयोग में अधिष्ठापित कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं फोटो कॉपियर का वार्षिक मेंटानेंस से संबंधित कार्य 31 अगस्त, 2018 तक करने का निर्णय हुआ था, किन्तु यह भी कार्य अब तक लंबित है।

23. छः अदद् लैपटॉप की आपूर्ति GeM के माध्यम से दिनांक – 17.08.18 को कर दी गई है। सभी लैपटॉप में एंटी वायरस अपलोड करने का निर्णय लिया गया।

24. ब्लैक एण्ड वाईट फोटो कॉपियर के एजेंसी को खराब प्रिंटिंग के कारण पत्र भेजने का निर्णय लिया गया।

25. बैठक में लिये निर्णय के अनुपालन हेतु सदस्य सचिव, विशेष ध्यान दें।

अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गई।

ह0/–	ह0/–	ह0/–
(डॉ0 रंजना कुमारी)	(हलधर महतो)	(उपेन्द्र नारायण उराँव)
सदस्य,	सदस्य,	सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग,	राज्य खाद्य आयोग,	राज्य खाद्य आयोग,
राँची।	राँची।	राँची।

ह0/–
(सुधीर प्रसाद)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

ज्ञापांकः—रा0खा0आ0 (बैठक) 23/2017 — 625 रॉंची, दिनांकः— 09.10.18

प्रतिलिपिः— मुख्य सचिव, झारखण्ड/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

ह0/—
(सुनील कुमार सिन्हा)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रॉंची।

ज्ञापांकः—रा0खा0आ0 (बैठक) 23/2017 — 625 रॉंची, दिनांकः— 09.10.18

प्रतिलिपिः— माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

ह0/—
(सुनील कुमार सिन्हा)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रॉंची।

ज्ञापांकः—रा0खा0आ0 (बैठक) 23/2017 — 625 रॉंची, दिनांकः— 09.10.18

प्रतिलिपिः— श्री उपेन्द्र नारायण उराँव, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग/श्री हलधर महतो, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग/डॉ0 रंजना कुमारी, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग/श्री सुनील कुमार सिन्हा, सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
(सुनील कुमार सिन्हा)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रॉंची।